Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला–अलवर

जयनारायण बनाम तहसीलदार गोविन्दगढ़

प्रकरण सं. 3/13/2024 तारीख रजू 24.06.2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
24.06.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम -1956 के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। अप्रार्थीगण को जरिये रजि० डाक नोटिस तलब हो। पत्रावली आयंदा दिनांक 03.07.2024 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
03.7.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं. 2 का नाम सही कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 का नाम रेशा के स्थान पर कुरेशा पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19.7.24 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
19.7.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य कार्य में है। पत्रावली दिनांक 31.7.24 को पेश हो। Sd/- रीडर	
31/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, तलब इत्तला तहसीलदार। पत्रावली दिनांक 7.8.24 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
07.8.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 28.8.24 को पेश हो रीडर
28.8.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब......अन्य......है। ......कार्य में......व्यस्त...... पत्रावली दिनांक......09.10.24......को पेश हो। रीडर
09.10.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आयंदा दिनांक 29.11.24 को पेश हो रीडर
29.11.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अप्रार्थी सं.2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब तहसीलदार गोविन्दगढ़ दिनांक 04.12.2024 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
04.12.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते जवाब तहसीलदार दिनांक 12.12.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
12.12.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी सं. 1 को जवाब पेश करने हेतु अंतिम मौका दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब आयंदा दिनांक 20.12.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.3.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी संख्या 1 आयंदा दिनांक 18.3.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
18.03.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 12.12.24 को जवाब पेश करने बाबत अंतिम अवसर दिया जा चुका है जवाब आज तक पेश नहीं किया गया है अतः अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 01.04.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
1.4.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते बहस आयंदा दिनांक 8.4.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
8.4.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित। इनकी बहस बन्द की जाती है बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 15.4.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

जयनारायण बनाम तहसीलदार गोविन्दगढ़

प्रकरण सं. 3/13/2024 तारीख रजू. 24.06.24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
15.4.25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी / सायल / वादी उपस्थित। इस्तगासा प्रकरण में वादी / प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत आराजी खसरा नम्बर 1921, रकबा 0.05 है0, 1922 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम तिलवाड़ पेश करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा 1921, 1922 वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील गोविन्दगढ़ प्रार्थी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। यह कि आराजी के पास अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी खसरा नम्बर 1955 वाके ग्राम तिलवाड़ है। यह कि अप्रार्थी 2 लट्ठबाज व्यक्ति है जो प्रार्थी के खेत की डोल को तोड़ता रहता है एवं अप्रार्थी 2 प्रार्थी को राजीखुशी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट के पत्थरगढ़ी नहीं होने दे रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 1921, 1922 वाके ग्राम तिलवाड़ की मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट	

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ

के मौके पर पत्थरगढ़ी करवायी जावे तथा जब तक पत्थरगढ़ी नहीं हो जावे इतने तक अप्रार्थी 2 को पाबन्द किया जावे कि वो खेतों की जुताई वगैरा नहीं करे या पैमाइश के निशानात को मिटावे या परिवर्तन करे।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने के कारण प्रतिवादी 1 का जवाब बन्द किया गया। बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 ग्राम तिलवाड़ तहसील गोविन्दगढ़ अनुसार खसरा 1921 रकबा 0.0500 हे0, 1922 रकबा 0.1400 हे0 किस्म चाही में जयनारायण पुत्र चुन्नीलाल (प्रार्थी/वादी) खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट (राज0 भू-राजस्व अधिनियम) बाबत प्रार्थी की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

जमनारायण बनाम तहसीलदार गोविन्दगढ़

प्रकरण सं. 3/13/2014 तारीख रजू 24.06.2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	खसरा नम्बर 1921, 1922 वाके ग्राम तिलवाड़ विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार गोविन्दगढ़, जिला अलवर को आदेश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.0500 हे0, 1922 रकबा 0.1400 हे0 वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील गोविन्दगढ़ से लगते हुए खातेदारों को सूचित करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः पैमाइश करते हुए प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाये। यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, शामिल अभिलेखागार हो। (हस्ताक्षर) 15.04.2015 उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0	